## SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No283/17 Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant
Name and address of the Complainant
्राहित स्टिन्ट र प्रशास अ
경우 그 그림 이번 사람들은 경우를 받는데 되는데 그는 그는 그를 보는데 그를 보는데 되었다. 그는 그를 받는데 그를
Name , parentage, caste and address of accused
$\Lambda$
11/cm-92 810912 1/18 GIT
Armaz 31098 ATE ART 121 Arciail 2111/11/19791
12. SII CIGIZI UIIII (777)
그리는 그리지 않는 사람들이 살아왔다면 하는 사람들이 되었다. 그리고 나는 사람들이 되었다. 그렇게 되었다고 모르는 그리고 있다면 살아보다 되었다.
그는 그는 그리는 사람들이 가장 있다는 사람들이 되었다. 그는 사람들이 가셨다는 것이다.
그님이는 하다가 되었다. 내가 가는 것이 없었다. 그 그 속이 많아 모든 것 같다. 이번 이번 다리 하다니다 모든 것이다.
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आप पर आरोप है कि दिनांक 29/10/19 . गुकाम जाया पर अपने पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
नाया भ करी राजिमान पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
आधिपत्य में लीटर/पाव/बोतल 28 शराब विकय/परिवहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
사용하게 되면 보다는 다른 사용하게 해보고 말다고 있다. 그는 사용하다면 하는 사용하는 사용하는 사용하는 사용하다면 보다 보다 보다.
अपराध कारिल किया।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
मार्गिक प्रहिस्तार मध्यम परण
The plea of the accused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

per or englished by

## //निर्णय// (आज दिनांक १/॥//२ को घोषित)

- 01. <u>अ</u>भियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि० 1915 की घारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराघ का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराघ विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने रवेध्धापूर्वक जुर्म / अपराघ स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 04 जप्तशुदा सम्पत्ति २ ८ ज्यास्ति २ पाव बोतल २ ८ शराब गूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्यात् नियमानुसार

\*\*